29-10-22 आवेदक/सुपुर्ददार बहादुर सींग गौंड़ सहित श्री अमित ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण आज आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–457 दं.प्र.सं. पर तर्क एवं केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु नियत है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमित ठाकुर द्वारा मोटरसाईकिल की असल बीमा पालिसी पेश की गई, जो अवलोकन पश्चात् वापस की गई व सत्यापित प्रति प्रकरण में संलग्न की गई।

पुलिस थाना देवरी से अपराध क्रमांक–421/22, अन्तर्गत धारा–279, 337, 338 भादवि एवं धारा–3/181, 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम की केस डायरी आरक्षक वीरेन्द्र ठाकुर नं. 1628 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन किया गया।

उभय–पक्षों के सुपुर्दनामा आवेदन के संबंध में तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक/सुपुर्ददार बहादुर सींग की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–457 दं.प्र.सं. संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, पुलिस थाना देवरी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक की मोटरसाईकिल एच.एफ. डीलक्स जिसका पंजीयन क्रं.एम.पी. 15एम.एक्स 7957 है, को मय असल दस्तावेज जप्त कर लिया गया है। आवेदक/सुपुर्ददार जप्तशुदा वाहन का एकमात्र स्वामी है। आवेदक/सुपुर्ददार का उक्त जप्तशुदा वाहन थाना परिसर में रख–रखाव के अभाव में खराब हो रहा है तथा आवेदक/सुपुर्ददार को उक्त वाहन मोटरसाईकिल की निजी उपयोग हेतु आवश्यकता होती है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना के कारण आवेदक उक्त वाहन को सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है। आवेदक न्यायालय द्वारा आदेशित सभी शर्तो का पालन करने को तैयार है तथा न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर वह उक्त वाहन को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेगा। अतः जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल एच.एफ. डीलक्स जिसका पंजीयन क्रं.एम.पी. 15एम.एक्स 7957 को मय असल दस्तावेजों सहित आवेदक की सुपुर्दगी पर देने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ द्वारा सुपुर्दनामा आवेदन का मौखिक रूप से विरोध किया गया है, तथा प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने से चालान क्रं. 390/22 दिनॉक 17.09.22 को तैयार किया गया है, मामले में चालान पेश होना शेष है, यदि वाहन मोटरसाईकिल को सुपुर्दनामा पर दिया जाता है, तो चालान पेश करने में परेशानी होगी, अतः जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल को सुपुर्दगी पर नहीं दिये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी का अवलोकन करने पर पाया कि पुलिस थाना

देवरी के अपराध क्रमांक–421/22, अन्तर्गत धारा–279, 337 भादवि एवं धारा–3/181, 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत् दिनॉक 31–08–22 को अभियुक्त रामगोपाल के द्वारा थाना परिसर देवरी में पेश करने पर उसके कब्जे से एक मोटर साईकिल कं. एम.पी.15 एम.एक्स–7957 एवं उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड को जप्त किया गया है।

जप्तशुदा वाहन के असल रजिस्ट्रेशन का अवलोकन करने पर आवेदक/सुपुर्ददार बहादुर सींग गौड़ जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल एच.एफ. डीलक्स पंजीयन कं.एम.पी.15एम.एक्स 7957 का प्रथम दृष्टया स्वामी होना प्रतीत होता है, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत बीमा पालिसी के अवलोकन से वाहन मोटरसाईकिल का बीमा दिनॉक 17–10–22 से 16–10–23 तक का है, जबकि घटना दिनॉक 05–08–22 की है, अतः घटना दिनॉक को जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल बीमित नहीं है, तथा जप्तशुदा वाहन के जप्त रहने से उसके मूल्य में गिरावट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, तथा जप्तशुदा वाहन थाना परिसर में खड़े रहने से उसके रख–रखाव से यांत्रिक खराबी आने की संभावना है।

अतः प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/सुपुर्ददार बहादुर सींग गौड़ की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–457 दं.प्र.सं. इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है, कि यदि आवेदक/सुपुर्ददार बहादुरसींग गौड़ पिता हल्का उम्र 45 वर्ष, निवासी–ग्राम रायखेड़ा तहसील देवरी, जिला–सागर म.प्र. द्वारा उक्त वाहन के संबंध में वाहन का बीमा घटना दिनांक 05–08–2022 को नहीं होने के कारण राशि 1,00,000/–रूपये की जमानत क्षतिपूर्ति प्रकरण में उसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व संबंधित न्यायालय द्वारा ठहराए जाने पर वह आहतगण को अदा करेगा या उक्त वाहन से वसूली योग्य होगा एवं राशि 50,000/–रूपए (पचास हजार रूपये) का स्वयं का सुपुर्दनामा निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तुत किया जाये, तो वाहन मोटरसाईकिल एच.एफ. डीलक्स जिसका पंजीयन कं.एम.पी.15एम.एक्स 7957 को वाहन के दस्तावेज रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रति पेश करने पर अंतरिम रूप से प्रकरण के निराकरण होने तक वाहन का असल रजिस्ट्रेशन सहित मैकेनिकल परीक्षण उपरान्त आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया जावे।

शर्ते–

1. आवेदक/सुपुर्ददार सुपुर्दनामें पर प्राप्त वाहन को खुर्दबुर्द नहीं करेगा, एवं उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा,

2. आवेदक/सुपुर्ददार सुपुर्दनामें पर प्राप्त सम्पत्ति वाहन का किसी प्रकार से अंतरण अथवा विक्रय नहीं करेगा,

3. आवेदक/सुपुर्ददार सुपुर्दनामें पर प्राप्त वाहन को न्यायालय के द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित रखेगा।

उक्त आदेश के पालन में जमानत व सुपुर्दनामा पेश होने पर तस्दीक हेतु पेश किया जाए।

केस डायरी संबंधित थाना को वापिस की जाकर पावती ली जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित एमजेसी आर में दर्ज किया जावे एवं समस्त पत्रावली अभियोग पत्र पेश होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

{सदाशिव दॉगौड़े}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,देवरी
जिला—सागर

SADASHIV DANGOUDE

Digitally signed by SADASHIV DANGOUDE
Date: 2022.10.29 15:08:26 +0530